न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी डॉ. नीरज के. पवन, आई.ए.एस

अपील संख्याः 62/2017 एल.आर.एक्ट
GCMS No. 2017/00191

दलीप कुमार पुत्र स्व. मनफूलराम जाति मेघवाल निवासी रोही गणेशगढ़ ढाणी मु.न. 111, किला नंबर 19 तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

—— अपीलान्ट

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर।
2. सावित्री देवी पत्नि स्व. रोशनलाल
3. महेन्द्र पुत्र स्व. रोशनलाल
4. उषा रानी पुत्री स्व. रोशनलाल
5. विमला पत्नि सुरेन्द्र
6. रजनी पुत्री सुरेन्द्र
7. पूजा पुत्री सुरेन्द्र
8. दीपक पुत्र सुरेन्द्र

जाति महाजन (गर्ग) निवासी 166 राणाप्रताप कॉलोनी, श्रीगंगानगर।

—— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री जयचंद लाल सारस्वत अभिभाषक अपीलांट
श्री अजय ओझा अभिभाषक रेस्पोडेंट सं. 3 ता 8

निर्णय

दिनांक 21.07.2022

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 09.06.2017 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि–

1– वादग्रस्त भूमि चक गणेशगढ तहसील श्रीगंगानगर के मुरब्बा नंबर 111 किला नंबर 12 ता 14, 19 ता 22 सालम कुल 6 बीघा 14 बिस्वा कृषि भूमि है। अपीलांट ने उक्त विवादित रकबे को नियमन/आवंटन करवाने के लिए उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगागनर में आवेदन कर रखा है। नामान्तरण संख्या 939 रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 8 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। इंतकाल संख्या 939 की जानकारी होने पर अपीलांट द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशा.)

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

श्रीगंगानगर के समक्ष दिनांक 18.04.2017 को तहसीलदार श्रीगंगानगर कैम्प गणेशगढ़ के आदेश दिनांक 07.03.2017 के विरूद्ध एक अपील पेश की, जिसे क्षेत्राधिकार में नहीं होने के कारण अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 09.06.2017 को खारिज कर दी। उक्त आदेश दिनांक 09.06.2017 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।

2— विद्वान अभिभाषक अपीलांट श्री जयचंद लाल सारस्वत ने अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलांट राजस्थान का मूल निवासी, भूमिहीन, सद्भावी एवं अनुसूचित जाति का काबिज काश्तकार है जिसके पिता के समय से लगभग 46 से चक गणेशगढ़ तहसील श्रीगंगानगर के मुरबा नम्बर 111 किला नम्बर 12 ता 14, 19 ता 22 सालम कुल 6 बीघा 14 बिस्वा निरन्तर कब्जा व काश्त में चला आ रहा है। अपीलांट उक्त रकबा को नियमन/आवंटन करवाने के लिए उपखण्ड अधिकारी श्री गंगानगर में आवेदन पेश कर रखा है। दिनांक 10.04.2017 को रेस्पोडेन्ट संख्या 8 द्वारा कब्जा एवं अपने नाम से इन्तकाल दर्ज होने की धमकी से दिनांक 12.04.2017 को इन्तकाल संख्या 939 की जानकारी होने पर अपीलांट ने प्रथम अपील अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 18.04.2017 को अपील पेश की अधिनस्थ न्यायालय ने क्षेत्राधिकार से बाहर बताकर खारिज कर दी गई।

जैर अपील रकबा अपीलांट के पिता के समय से लगभग 46 वर्षो से निरंतर कब्जा काश्त में है। अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा इन्तकाल संख्या 939 दिनांक 07.03.2017 को गलत तरिके से रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 8 के नाम दर्ज कर स्वीकृत करने का आदेश पारित कियें। तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 07.03.2017 को जो आदेश पारित किया उसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 8 के पिता व दादा एवं ससुर रोशनलाल के नाम से आवंटन गलत हुआ है जिसे भू–अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट में अंकन किया है कि जैर अपील रकबा विवादित है जो रकबा राज दर्ज होना चाहिए था। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं किया। विवादित इन्तकाल संख्या 939 दिनांक 07.03.2017 से पहले संरपच ग्राम पंचायत गणेशगढ़ के समक्ष पेश हुआ था जिसे सरपंच ने दिनांक 22.02.2017 को आगामी बैठक में पेश होने का आदेश दिया, लेकिन उक्त नामान्तरण पत्रावली को कैम्प गणेशगढ़ में तहसीलदार श्रीगंगानगर के समक्ष पेश कर दिया। मौका रिपोर्ट मंगवाई गई और मौका रिपोर्ट के विपरित जैर अपील आदेश पारित किया गया। पटवारी से जो मौका रिपोर्ट

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

मंगवाई गई, उसमें पटवारी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक ने अंकन किया कि रोशनलाल के नाम से यह आवंटन पूर्व में खारिज होने के कारण रकबा राज दर्ज होना चाहिए था, फिर भी तहसीलदार श्रीगंगानगर ने रिपोर्ट की अनदेखी करते हुए रोशनलाल के वारिसान के नाम से नामान्तरण दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया। तत्पश्चात आवंटन को नियम विरूद्ध होना अंकित करते हुए भू–अभिलेख निरीक्षक गणेशगढ़ को निर्देशित किया की समस्त दस्तावेज एकत्रित कर उक्त भूमि की खातेदारी समाप्त कराने हेतु एक रिपोर्ट पेश करें, जिससे उक्त भूमि के आवंटन आदेश को निरस्त करवाकर रकबा राज कराने हेतु जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफरेन्स पेश किया जा सके। अतः उक्त आदेश मेण्डेटरी प्रावधानों के विपरित न्याय की मंशा से पारित किया है। श्री रोशनलाल का मूल आवंटन पूर्ण में ही निरस्त हो चुका है, रकबा को आराजीराज दर्ज करने के आदेश पारित हो चुके है। राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर, राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय तक ने उक्त आदेश को कायम रखा है।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट श्री अजय ओझा ने अपनी बहस के दौरान अवगत कराया की अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस एवं अपनी अपील में जो तथ्य बताये है वे पूर्णतया मिथ्या है। अपीलांट का वादगत भूमि में कोई हित नही है। अपीलांट का वादगत भूमि से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है ना ही अपीलांट अपने कथनों के अनुसार वादगत भूमि में कोई वैधानिक हक अधिकार रखता है। मात्र रेस्पोडेन्ट्स को तंग व परेशान करने की नियत से व अनुचित दबाव बनाकर नाजायज अदैय लाभ प्राप्त करने की नियंत से उपरोक्त अपील प्रस्तुत की है। अपीलांट अपने आप को वादगत भूमि का अतिक्रमी बताता है जो वास्तविकता नहीं है। अपीलांट का वादगत भूमि पर कभी भी कब्जा नही रहा, ना ही अतिक्रमी के रूप में वादगत भूमि की नियमन का अधिकारी हैं, क्योंकि वादगत भूमि राजकीय भूमि ना होकर रेस्पोडेन्ट्स की खातेदारी कृषि भूमि है तथा वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज शुदा है, जिसे किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त करने के आदेश नहीं दिये गए हैं ऐसी स्थिति में अपीलांट को अपील प्रस्तुति का वैधानिक अधिकार ना था ना ही है। अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे।

हमने अधिनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख तथा उभय पक्ष की बहस का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। प्रकरण में वस्तुस्थिति जानने के लिए तहसीलदार श्रीगंगानगर से मौका रिपोर्ट मंगवाई। तहसीलदार (भू.अ.) श्रीगंगानगर

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

ने अपनी मौका रिपोर्ट क्रमांक 1866 दिनांक 05.07.2022 द्वारा वादग्रस्त भूमि के पड़ौसियों के बयान सहित अवगत कराया कि भूमि राजस्व अभिलेख अनुसार रेस्पोडेन्ट्स को विरासतन प्राप्त हुई है एवं राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज है, जो विरासतन सम्वत् 2054 से चली आ रही है। दिलीप रेस्पोडेन्ट्स के खरीदशुदा खेत में रेस्पोडेन्ट्स दीपक वगैरह से धक्काशाही करता है। रेस्पोडेन्ट दीपक वगैरह जरिये कानूनी लड़ाई लड़कर अपना हक प्राप्त करना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुचतें है कि अपीलांट ने तहसीलदार (भू.अ.) श्रीगंगानगर प्रकरण संख्या 12/2017 निर्णय दिनांक 07.03.2017 के विरूद्ध अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की हुई है, जो बअनवान दिलीप कुमार बनाम स्टेट, सावित्री वगैरह मुकदमा नंबर 59/2017 एल.आर.एक्ट है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशा.) श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 09.06.2017 जो कि तहसीलदार श्रीगंगानगर के प्रकरण संख्या 12/2017 निर्णय दिनांक 07.03.2017 से ही संबंधित है। इसलिए तहसीलदार श्रीगंगानगर के निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में पुनः निर्णय किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण निरस्त की जाती है।

तदानुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति पत्रावली में शामिल की जाकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 21.07.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. नीरज के. पवन)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर